

No. 15/1/2021-Trans

भारत सरकार

विद्युत् मंत्रालय

पारेषण विभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 01.09.2021

प्रति

1. सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव
2. सभी राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव/सचिव
(विद्युत/ऊर्जा)।

विषय: उप-संचरण प्रणाली के निष्पादन में सुधार के लिए 33 केवी प्रणाली को ट्रांसमिशन के तहत लाना।

महोदय,

1. मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सब-ट्रांसमिशन सिस्टम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बीच इंटरफेस के तहत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता के लिए यह प्रणाली महत्वपूर्ण है। परन्तु, सब-ट्रांसमिशन सिस्टम अधिक हानि की समस्याओं और अक्षम प्रदर्शन से घिरा हुआ है।
2. सब-ट्रांसमिशन प्रणाली के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने सीएमडी, पावरग्रिड की अध्यक्षता में सब-ट्रांसमिशन सिस्टम में नुकसान को कम करने और विश्वसनीयता और कुशल प्रदर्शन सुनिश्चित करने बनाने के लिए उपायों का सुझाव देने और सब-ट्रांसमिशन सिस्टम में निवेश को बढ़ावा देने की सिफारिश के लिए एक समिति गठित की जिसमें केंद्र के प्रतिनिधियों के साथ विद्युत प्राधिकरण, हरियाणा, महाराष्ट्र और ओडिशा की राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज और सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल थे।

3. समिति ने 25 राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज (एसटीयू) और 30 कंपनियों (डिस्कॉम) से विभिन्न वोल्टेज स्तर पर यूटिलिटीज के कामकाज पर वितरण की जानकारी एकत्र की (33 केवी, 66 केवी, 132/110 केवी और 220 केवी)। समिति ने देखा कि

i) 33 kV पर हानि लगभग 4.8% है, जबकि 66 kV-220 kV स्तर में हानि केवल 1.72-2.39% है, जबकि वह 33 केवी पर वार्षिक उपलब्धता लगभग 96.3% है, जबकि 66 केवी -220 केवी स्तर में 98.5-99.4% है।

ii) 33 केवी प्रणाली, जिसका वर्तमान में DISCOMs द्वारा रखरखाव किया जाता है के कामकाज में हानि में कमी और नेटवर्क की उपलब्धता में सुधार की काफी गुंजाइश है ।

iii) वितरण प्रणाली अंत-उपभोक्ता का सामना करने वाली इकाई होने के कारण, DISCOMS का ध्यान आम तौर पर वितरण नेटवर्क की दीर्घकालिक योजना और विस्तार के बजाय, किसी भी गलती या नए उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने के मामले में आपूर्ति की त्वरित बहाली पर होता है। इसके अलावा, DISCOMS की खराब वित्तीय स्थिति के कारण, नई तकनीकों को अपनाने सहित 33kV प्रणाली की समन्वित योजना और विस्तार और 33 kV प्रणाली के समग्र संचालन और रखरखाव के स्तर की तुलना 66 kV और उससे अधिक वोल्टेज स्तरों पर नहीं की जा सकती है।

iv) 33 केवी नेटवर्क के बेहतर रखरखाव से, 33 केवी सिस्टम की उपलब्धता में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की संतुष्टि में सुधार होगा। इसके अलावा, 33 केवी प्रणाली के बेहतर रखरखाव से, 7865 करोड़ रुपये का वृद्धिशील राजस्व प्रति वर्ष प्राप्त किया जा सकता है:

a) हानियों में कमी: यदि हानियों को 4% से 3% तक कम किया जा सकता है, तो ऊर्जा की बचत लगभग 8.99 बिलियन यूनिट प्रति वर्ष के हो सकती है और राज्यों को हानि में कमी से वृद्धिशील राजस्व प्रति वर्ष 4495 करोड़ रुपये होगा (मान लीजिए, बिजली की दर @ 5 रुपये प्रति यूनिट)

b) उपलब्धता में सुधार: कई 33kV सबस्टेशन (लगभग 13%) में एकीय (सिंगल) ट्रांसफॉर्मर हैं और इसलिए ट्रांसफॉर्मर में खराबी या ट्रांसफॉर्मर के रखरखाव के मामले में बिजली की आपूर्ति के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। साथ ही, यह भी देखा गया है कि 80% से अधिक सबस्टेशनों को आधुनिक तकनीकों जैसे SCADA सुविधा, फॉल्ट लोकेटर / DR सुविधा, ट्रांसफॉर्मर मॉनिटरिंग डिवाइस, सबस्टेशन पर भविष्य कहनेवाला और निवारक रखरखाव उपकरण प्रदान नहीं किये गये हैं। यदि 33 kV प्रणाली की उपलब्धता में 0.75% तक सुधार हो सकता है, तो अतिरिक्त 6.74 बिलियन यूनिट प्रति वर्ष अंतिम उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगी और प्रति वर्ष 3370 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा (बिजली की दर 5 रुपये प्रति इकाई वर्ष की दर से)

4. इन सभी निष्कर्षों/टिप्पणियों पर विचार करते हुए, समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ 33 केवी प्रणाली के कामकाज में सुधार के लिए राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज के तहत 33 केवी प्रणाली लाने की सिफारिश की है। इसके अलावा, समिति ने 33 केवी नेटवर्क के प्रदर्शन में सुधार के लिए तकनीकी उपायों की भी सिफारिश की, जिसमें मजबूत नेटवर्क योजना / नेटवर्क पुनः विन्यास, उच्च क्षमता वाले कंडक्टर का नेटवर्क पुनः संचालन, भावी सूचक रखरखाव, विश्वसनीयता में सुधार के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाना जैसे इंडोर स्विचगियर/जीआईएस स्विचगियर पैनल, ऑटो-स्विचड (थायरिस्टर नियंत्रित) कैपेसिटर बैंक, लो लॉस पावर ट्रांसफॉर्मर, स्काडा आधारित सबस्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम (एसएसएस), आदि शामिल हैं। समिति की रिपोर्ट तुरन्त संदर्भ के लिए संलग्न है।

5. समिति के प्रतिवेदन पर दिनांक 16.08.2021 को माननीय विद्युत एवं एनआरई मंत्री द्वारा की गई बैठक में चर्चा की गई। बैठक में चर्चा के आधार पर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे 33 केवी प्रणालियों के कामकाज में समग्र सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:

- i) 33 केवी प्रणाली को बेहतर योजना, हानि में कमी और आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए DISCOMS से STU को सौंप दिया जाना चाहिए।

इसे चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है। पहले चरण में, 33 केवी नेटवर्क में वृद्धिशील परिसंपत्तियां और मौजूदा अतिभारित परिसंपत्तियां/परिसंपत्तियां एसटीयू को सौंपी जा सकती हैं।

ii) राज्य सरकार एसटीयू को अपनी 33 केवी परिसंपत्तियों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

iii) यदि राज्य सरकार उन्नयन के लिए आपको वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम नहीं है, तो एसटीयू को अपने वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए 50:50 इक्विटी आधार पर पावरग्रिड के साथ संयुक्त उद्यम बनाने के लिए कहा जा सकता है।

6. यह ध्यान में रखा जाये कि जहां भी राज्य पावरग्रिड से संपर्क करता है, पावरग्रिड को पहले ही बिजली मंत्रालय द्वारा एसटीयू के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की सलाह दी जा चुकी है।

7. इन मुद्दों को माननीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नक: ऊपर के रूप में।

आपका विश्वासी,

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
संयुक्त सचिव (पारेषण)

प्रतियाँ:

1. अध्यक्ष, सीईए, आरके पुरम, नई दिल्ली
2. सीएमडी, पावरग्रिड, गुरुग्राम, हरियाणा
3. सीओओ, सीटीयू, गुरुग्राम, हरियाणा।

इनको भी प्रतियाँ:

1. माननीय विद्युत मंत्रालय के निजी सचिव

2. माननीय राज्य मंत्री के ए पी एस
3. सचिव (विद्युत)/एएस (वीकेडी) एएस (एसकेजीआर/जेएस (ट्रान्समिशन)/जेएस (वितरण)/निदेशक (ट्रान्समिशन)/निदेशक (वितरण), एमओपी के पीपीएस/पीएस।
4. इन-चार्ज, एनआईसी सैल, विद्युत मंत्रालय, इस अनुरोध के साथ कि "वर्तमान नोटिस" के तहत विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर कार्यालय ज्ञापन अपलोड करें।